न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0 (Crime Against Women) मुरादाबाद

परिवाद संख्या– 4832/2019
धारा– 12 डी0वी0 एक्ट, 2005
थाना–मझौला
श्रीमती प्रियंका रानी बनाम अभिषेक दिनकर आदि।

30.07.2021

पत्रावली पेश हुई। परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थिनी की ओर से उक्त परिवाद खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथमत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी उपरोक्त वाद में वादिनी है। प्रार्थिनी उक्त वाद को चलाना नहीं चाहती है, क्योंकि प्रार्थिनी व विपक्षी ने धारा–13ख हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद हेतु संयुक्त याचिका माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मुरादाबाद में याजित कर दी है। प्रार्थिनी ने आज दिनांक 30.07.2021 को 3,00,000/– रु का डिमांड ड्राफ्ट, संख्या–552476, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिनांकित 26.07.2021 जो कि प्रार्थिनी के नाम है, बतौर भरण–पोषण हेतु प्राप्त कर लिया है। अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वाद समाप्त किया जाये।

परिवादिनी ने पूछे जाने पर कथन किया है कि वह स्वेच्छया एवं बिना किसी दबाव के वाद वापस लेना चाहती है। प्रार्थिनी का उक्त वाद में विपक्षीगण से समझौता हो गया है। इस कारण वह वाद चलाना नहीं चाहती है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

सुनने तथा पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी व विपक्षी ने धारा–13ख हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद हेतु संयुक्त याचिका माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मुरादाबाद में याजित कर दी है। प्रार्थिनी ने दिनांक 30.07.2021 को 3,00,000/– रु का डिमांड ड्राफ्ट, संख्या–552476, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिनांकित 26.07.2021 जो कि प्रार्थिनी के नाम है, बतौर भरण–पोषण हेतु प्राप्त कर लिया, जिस कारण प्रार्थिनी स्वेच्छया से अपना वाद अन्तर्गत धारा–12,17,18,19,20 व 22 घरेलू हिंसा से संरक्षित अधिनियम, 2005 चलाना नहीं चाहती है। इसलिए सिविल कार्यवाही को जारी रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं होगा। तद्नुसार प्रार्थिनी का प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थिनी श्रीमती प्रियंका रानी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा–12,17,18,19,20 व 22 घरेलू हिंसा से संरक्षित अधिनियम, 2005 विपक्षीगण से समझौता हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक 30.07.2021

(वर्तिका शैलत)
सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0
(Crime Against Women),
मुरादाबाद।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 3733

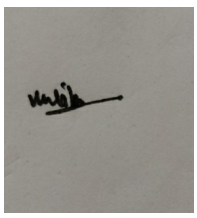

Digitally signed by Vertika Shailat
Date: 2021.07.30 14:54:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court